भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2958

दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन

2958 : श्री मोहन मंडावीः

श्री चुन्नीलाल साहूः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा की गई निर्यात संवर्धन पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा घरेलू बाजारों का अधिक से अधिक विकास करने और विश्वस्तर पर इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा ई–कॉमर्स निर्यात–संवर्धन के लिए की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार ने निर्यात संवर्धन संबंधी निम्नलिखित पहलें की हैं:–

(i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 2500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन के साथ 30.06.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से कार्यान्वित की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से, पूर्व में शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों जैसे फार्मास्युटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहा एवं इस्पात की वस्तुओं को आरओडीटीईपी के तहत शामिल किया गया है। इसी प्रकार से, 432 प्रशुल्क लाइनों में विसंगतियों का समाधान किया गया है और संशोधित दरों को दिनांक 16.01.2023 से लागू किया गया है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अड़चनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में पहल शुरु की गयी है।

(viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(ix) विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डो/प्राधिकरणों और उद्योग संघो के साथ निर्यात निष्पादन की नियमित निगरानी और समय–समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) सरकार द्वारा घरेलू बाज़ारों का अधिक से अधिक विकास करने और विश्व स्तर पर इसकी पहुँच को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

i. प्रधान मंत्री गति शक्ति
ii. राष्ट्रीय संभारतंत्र नीति
iii. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम
iv. जीआईएस एनेबल्ड लैंड बैंक–इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आईआईएलबी)
v. औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस)
vi. प्रोडक्टिविटि लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई)
vii. मेक इन इंडिया
viii. स्टार्ट अप इंडिया
ix. एक जिला एक उत्पाद
x. राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली

(ग) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 में एक नया अध्याय शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों की सीमा के तहत ऐसे निर्यातकों को शामिल कर ई–कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना है। एफटीपी 2023 में ई–कॉमर्स निर्यात पर दिए गए विशेष बल के अनुरुप, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म, विभिन्न संबंधित केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभाग जैसे डाक विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), बैंक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), निर्यात संवर्धन परिषदों, स्थानीय व्यापार संघों/चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिला उद्योग केन्द्र आदि सहित विभिन्न हितधारकों के सहयोग से जिलों से पहचानी गई वस्तुओं के ई–कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ निर्यात हब पहल के रुप में जिले के तहत जिलों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

****